

मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर-काण्डोई-मदसू मार्ग के निर्माण हेतु गैर वानिकी कार्यों हेतु 1.610 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किए जाने हेतु याचित वन भूमि की मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 4.6 कि०मी० सन्निकट आंकलित की गयी है। प्रस्तावित परियोजना/कार्यस्थल राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव विहार के अन्तर्गत स्थित नहीं है। इस परियोजना के निर्माण से वन्यजीवों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। भारत सरकार का पत्रांक 6-60/2020 WL दिनांक 16 जुलाई 2020 के अनुसार उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की पर्यावरणीय स्वीकृत की आवश्यकता नहीं है।

(जे०एस० सुहाग)
मुख्यव्यवस्थापक,
उत्तराखण्ड।

85-राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड), फ़ोन नं०-0135-2742884 फ़ैक्स-2745881 ई-मेल-cwfwua@yahoo.co.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- रादून। 
(जे०एस० सुहाग)
मुख्यवन्ध जीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड 
6/9/21

(प्रपत्र-26)

परियोजना का नाम - मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर-काण्डोई-मदसू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(लम्बाई- 4.00 किमी0)

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण से दूरी का प्रमाण-पत्र

जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर में प्रस्तावित सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजना में प्रयुक्त आरक्षित वन भूमि एवं सिविल भूमि की स्थल की विनोग वन्य जीव अभ्यारण की निकटतम सीमा से हवाई दूरी 4.60 किमी GIS तकनीकी द्वारा आंकलित की गई है। क्षेत्र विशेष में प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से वन्यजीवों व उसके आसपास स्थलों पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।


उप प्रभाषीय वनाधिकारी
बहुवपुर उपवन प्रभाग
काशी


प्रभाषीय वनाधिकारी
काशी, भू-संरक्षण प्रभाग,
काशी